मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं. ए-49/13/03/2022-रा.भा. दिनांक :04,जुलाई, 2024

परिपत्र

विषय : महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून, 2024 को संपन्न क.रा.बी. निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

****

महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून, 2024 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186 वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि

Signed by Shyam Kumar
Date: 04-07-2024 14:11:33

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

सेवा में,

1. मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं।
3. संयुक्त निदेशक(राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
4. बीमा आयुक्त(राप्रअ.)/सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, आंचलिक कार्यालय/सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष,अस्पताल/महाविद्यालय/पीजीआईएमएसआर /निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को निगम मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186 वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186 वीं बैठक महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 जून, 2024 (शुक्रवार) को मुख्यालय में आयोजित की गई।

सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय की अनुमति से बैठक को प्रारंभ किया। सदस्य-सचिव ने सर्वप्रथम महानिदेशक महोदय का अभिवादन किया साथ ही उपस्थित सभी बीमा आयुक्त, चिकित्सा अधीक्षकों, अधिकारियों का अभिवादन किया तथा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि यह विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186 वीं बैठक है। पूर्व में मार्च, 2024 में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 185 वीं बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व की 185 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई और जो कार्रवाई राजभाषा शाखा के स्तर पर अपेक्षित थी उस पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत कराया गया। इसी कार्रवाई के बीच सदस्य सचिव ने सभी शाखाधिकारियों को अवगत कराया कि रिपोर्ट में पत्राचार प्रतिशत कम होने पर इसका कारण पूछा जाएगा। अन्य जो कार्रवाइयां अपेक्षित थीं, उनपर भी बिंदुवार चर्चा की गई। चर्चा के दौरान ही अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में मूल पत्राचार, नियम 3, नियम 5, धारा 3(3) आदि बिंदुओं पर जानकारी मांगी तथा सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इसी के साथ चर्चा की गई कि संसदीय समिति का निरीक्षण हुए काफी समय हो गया है। अत: सभी मदों पर, महत्वपूर्ण नियमों पर कार्रवाई की जाती रहे तो लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे तथा निरीक्षण के समय कोई समस्या नहीं आएगी।

महानिदेशक महोदय ने अवगत कराया कि संसदीय राजभाषा समिति बहुत गंभीरता से निरीक्षण करती है।

समस्त चर्चा के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके अनुपालन के लिए अनुरोध किया गया :-

1) धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।
2) जाँच बिन्दुओं पर अपेक्षानुसार कार्रवाई की जाए।
3) अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से कार्य हिंदी में ही किया जाए।
4) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।
5) 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। इसका अनुपालन शत प्रतिशत किया जाए।
6) हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त सभी कर्मचारियों से शाखाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी टंकण का कार्य कराया जाए।
7) प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।
8) सभी शाखाएं निर्धारित समय से पूर्व राजभाषा शाखा को हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ताकि उन पर अपेक्षित कार्रवाई समय पर की जा सके।

सदस्य-सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी उपर्युक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए इसका अनुपालन करें जिससे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने इन बिंदुओं पर चर्चा की और महत्वपूर्ण निदेश दिए।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक में मदों पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

मद संख्या 1	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 185वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक दिनांक 27.03.2024 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 03.04.2024 को परिचालित कर दिया गया था। बैठक में कार्यवृत्त के आधार पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण बैठक प्रारंभ करते समय प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही आपत्ति/सुझाव के लिए अनुरोध किया गया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2	**दिनांक 31.03.2024 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने शाखावार बार चार्ट के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि जिन शाखाओं का पिछली तिमाही की तुलना में पत्राचार प्रतिशत कम रहा वे लक्ष्यानुसार पत्राचार करें।

अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं का पत्राचार प्रतिशत लक्ष्य से कम था, विचार-विमर्श करते हुए उन सभी शाखाओं से कारण जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाएं एवं मूल पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करें।

अध्यक्ष महोदय ने विधि तथा चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी में कार्य करने पर आनेवाली समस्याओं और इसके निराकरण के लिए भी चर्चा की।

सदस्य-सचिव ने बताया कि मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 99.89% एवं 'ख' क्षेत्र के साथ 99.59% और 'ग' क्षेत्र के साथ 96.66% पत्राचार हिंदी में किया गया। यद्यपि 'ग' क्षेत्र के साथ लक्ष्यानुरूप पत्राचार किया गया तथापि यह नोट किया गया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार 100% के निकट है परंतु शत-प्रतिशत नहीं है और अवगत कराया गया कि इसे हर हाल में 100% किया जाना है। जिन शाखाओं का पत्राचार लक्ष्य प्रतिशत कम रहा उनके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि वे मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय ने उन शाखाओं को पत्राचार के लक्ष्य को सुधारने के निदेश दिए। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जाए, परंतु

मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। पत्रों का अनुवाद हिंदी में करवाने की अपेक्षा शाखाएं स्वयं पत्र का मसौदा हिंदी में बनाएं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

अध्यक्ष महोदय ने 'ग' क्षेत्र की समस्या को देखते हुए यह भी निदेश दिया कि द्विभाषी पत्राचार किया जाना उचित रहेगा। इस पर कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने चिकित्सा एवं विधि संबंधी शाखाओं से संबंधित समस्याओं के दृष्टिगत उनके और कोशिश करने के निदेश दिए।

मद संख्या 3	**फाइलों पर टिप्पणियां।**

फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने पर अवगत करवाया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 33490 टिप्पणी पृष्ठों में से 31934 टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखे गए और टिप्पण 95.35% रहा। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथापि आगे हमें इसे और बढ़ाना भी है और इसे बनाए रखने के प्रति विशेष जागरूक रहना है। उन्होंने अवगत कराया कि संपूर्ण कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है जिसके लिए हिंदी टंकण संबंधी टूल्स की जानकारी आवश्यक हो गई है, अभी कुछ कार्मिक फोनेटिक पद्धति से फाइलों में हिंदी टंकण कर रहे हैं, जिन्हें इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम हिंदी वॉयस टाइपिंग के माध्यम से भी ई-ऑफिस में आसानी से हिंदी में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही टिप्पणी लिखते समय ई-ऑफिस में उसके लिए अनुवाद की सुविधा के संबंध में भी अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी को निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई—मुख्यालय के संबंधित अधिकारी]

मद संख्या 4	**राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।**

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाई गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना अनिवार्य है या तो पंक्ति दर पंक्ति अथवा पृष्ठ पर आगे-पीछे सामग्री द्विभाषी रूप में हो। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यालय में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत सभी 407 दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए गए। सदस्य-सचिव ने इसे बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया। विशेषकर इस बात पर बल दिया गया कि वेबसाइट पर आदेश एक ही साथ दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाएं।

[कार्रवाई—मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से सभी निगम कार्यालयों के लिए जारी किया गया है। भाषाई आधार पर पत्राचार के लक्ष्य क, ख, ग क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में ही दिए जाते हैं। इसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से इस पर चर्चा की। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी से अनुरोध किया गया।

सदस्य सचिव ने सभी से अनुरोध किया कि वे वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 समय-समय पर देखते रहें अथवा अपनी मेज पर सामने ही रखें जिससे उन्हें कार्य करते समय लक्ष्यों का ध्यान रहे।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल पत्राचार का लक्ष्य निम्नानुसार है :-

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के साथ 65% मूल पत्राचार

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं को निदेशित किया कि वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित मदों/लक्ष्यों पर अनुपालन करें। आगामी बैठकों में इसके अनुसार समीक्षा की जाती रहेगी।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6	निर्धारित जांच-बिंदुओं पर चर्चा।

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु अप्रैल 2024 को परिचालित किए गए। जांच बिंदुओं की सूची का बोर्ड अन्य शाखाओं में भी लगाया गया है। सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से जांच बिंदु के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का आग्रह किया। यह जानकारी दी गई कि जांच बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई करते रहने पर कार्यान्वयन संबंधी अनेक बिंदुओं पर स्वयमेव कार्रवाई हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच बिंदुओं के अनुसार अनुपालन की जांच करने के लिए निदेश दिए।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 7	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस संबंध में उन्होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से नियम-5 का अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया। नियम-5 का उल्लंघन करने वाली शाखाओं को महानिदेशक महोदय की ओर से अ.शा. पत्र लिखने के निदेश भी दिए गए।

[कार्रवाई– i. नियम-5 अनुपालन - मुख्यालय की सभी शाखाएं
ii. नियम-5 उल्लंघन - उल्लंघनकर्ता शाखाएं]

मद संख्या 8	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं। इस दौरान 'ग' क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई और 'ग' क्षेत्र में पत्र द्विभाषी रूप में भी भेजे जाने पर बल दिया गया। शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए नियम 3 के अनुपालन के प्रति सजग रहने के लिए अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ पत्रोत्तर केवल हिंदी में ही किया जाए। जिन कतिपय शाखाओं में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। उन शाखाओं को महानिदेशक महोदय की ओर से अ.शा. पत्र लिखने के निदेश दिए गए हैं।

[कार्रवाई– i. नियम-3 - मुख्यालय की सभी शाखाएं
ii. नियम-3 उल्लंघन - उल्लंघनकर्ता शाखाएं]

मद संख्या 9	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राजभाषा शाखा, मुख्यालय द्वारा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का निरंतर आयोजन कर रही है, यह 186 वीं बैठक है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी शाखाएं अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करें, इस संबंध में राजभाषा शाखा की सहायता भी ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि हमें निगम के कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 'ग' क्षेत्र में तैनात कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य करना सहज नहीं है, इसलिए हम 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों/अस्पतालों के साथ द्विभाषी पत्राचार करें तो उन्हें कार्य करने में सहजता महसूस होगी तथा वे भी हिंदी में कार्य करने के लिए स्वत: ही प्रेरित होंगे। हम मूल रूप से हिंदी में कार्य करें न कि अनुवाद के लिए राजभाषा शाखा पर निर्भर रहें। ऑन लाइन टूल्स का प्रयोग करें और हिंदी में टाइप करें। कंठस्थ टूल एवं अन्य टूल्स की सहायता से अनुवाद करना काफी आसान हो गया है। अध्यक्ष महोदय ने अनुवाद के क्षेत्र में "भाषिणी" अनुवाद टूल पर भी चर्चा की। ई-ऑफिस में हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है, आप इसका लाभ ले सकते हैं।

चर्चा का सार

इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड पर आज के विचार/शब्द लिखना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि इस प्रकार के बोर्ड निगम के ऐसे अस्पतालों में लगाए जाएं जहां अधिक बीमाकृत व्यक्ति आते हैं ताकि उन्हें हितलाभ या उनसे संबंधित जानकारी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके और उनके लिए फायदेमंद हो। (डॉ दीपिका गोविल महोदया ने सुझाव दिया कि अस्पतालों में जहां - क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ - उसके आस-पास डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए तो इसकी उपयोगिता अधिक सार्थक हो सकेगी।) इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करने के निदेश दिए हैं। विधि शब्दावलियां खरीदकर पुस्तकालय में रखी जाएं। चिकित्सा शब्दावलियां सभी चिकित सा शाखाओं और पुस्तकालय के लिए मंगाई जाएं। महानिदेशक महोदय ने चर्चा के दौरान कहा कि अब तो मध यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी में दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय के निदेश :

- इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड पर आज के विचार/शब्द लिखना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि इस प्रकार के बोर्ड निगम के ऐसे अस्पतालों में लगाए जाएं जहां अधिक बीमाकृत व्यक्ति आते हैं ताकि उन्हें हितलाभ या उनसे संबंधित जानकारी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके और उनके लिए फायदेमंद हो। डॉ दीपिका गोविल महोदया ने सुझाव दिया कि अस्पतालों में जहां - क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ - काउंटर होता है, उसके आस-पास डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए तो इसकी उपयोगिता अधिक सार्थक हो सकेगी। इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करने के निदेश दिए गए ।
- विधि शब्दावलियां खरीदकर पुस्तकालय में रखी जाएं।
- चिकित्सा शब्दावलियां सभी चिकित्सा शाखाओं और पुस्तकालय के लिए मंगाई जाएं। महानिदेशक महोदय ने चर्चा के दौरान कहा कि अब तो मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी में दी जा रही है।
- तिमाही बैठक का कैलेण्डर बनाकर 25-30 तारीख तक बैठक करवा ली जाए।
- समय पर रिपोर्ट नहीं भेजनी वाली शाखाओं का नाम सीधे उन्हें बताए जाएं।

जिन शाखाओं में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3, नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है उन शाखाओं को महानिदेशक महोदय की ओर से अ.शा. पत्र लिखने के निदेश दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम अधिक सचेत होकर हिंदी में अधिकाधिक कार्य करें जिससे निरीक्षण के दौरान हमें किसी कठिनाई से जूझना न पड़े।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186वीं बैठक में **अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, लिए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां :**

1.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**कार्रवाई–** **सभी प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी–मुख्यालय**
2.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
3.	सभी शाखाएं निर्धारित समय तक या उससे पूर्व राजभाषा शाखा में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
4.	'ग' क्षेत्र में पत्राचार द्विभाषी रूप में करने में 'ग' क्षेत्र के राज्यों को आसानी रहेगी।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
5.	धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
6.	हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से हिंदी टंकण की सेवाएं ली जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
7.	'क' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं। उल्लंघनकर्ता शाखाओं के नाम महानिदेशक महोदय को अवगत कराए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
8.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। उल्लंघनकर्ता शाखाओं के नाम महानिदेशक महोदय को अवगत कराए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
9.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
10.	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।	**कार्रवाई–** **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य**
11.	निगम इकाइयों का राजभाषायी निरीक्षण समय-समय पर किया जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय स्तर पर**

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए विशेष निर्णय/चर्चा/निदेश

1.	स्वागत हॉल में इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से **'आज का शब्द'** प्रदर्शित किया जाए।	**कार्रवाई–** **सामान्य शाखा**
2.	सभी अधिकारी ई-ऑफिस में टिप्पणी का अनुवाद भली-भांति सीख लें, अगली बैठक में महानिदेशक	**कार्रवाई–** **सामान्य शाखा**

	महोदय स्वयं जानकारी मांगेंगे।	
3.	निगम की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी बनाई जाए तथा इसे अपडेट किया जाए।	**कार्रवाई–** **जन संपर्क शाखा**

अंत में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बैठक में राजभाषा प्रगति, कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है। सभी अधिकारी अपने स्तर पर वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करें। जिन शाखाओं का हिंदी में कम कामकाज हुआ है वे इस पर ध्यान दें। बैठक में जो मूल्यवान सुझाव और निदेश दिए हैं, उन पर अनुपालन आवश्यक है जिस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए। **मेरी अपेक्षा है कि मूल रूप से हिंदी में काम करें।**

सभी सदस्यों ने इन बिंदुओं को संज्ञान में लिया। महानिदेशक महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने पर बल दिया। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

Signed by Shyam Kumar
Date: 04-07-2024 14:18:23

(श्याम कुमार)
सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186 वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	
1.	**कमल किशोर सोन**	**महानिदेशक**	**अध्यक्ष**
2.	अक्षय काला	बीमा आयुक्त	सदस्य
3.	डॉ. कमलेश हरीश	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
4.	डॉ. दीपिका गोविल	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
5.	डॉ मधु गुप्ता	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
6.	डॉ. अनीता करनवाल	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
7.	डॉ. मोना वर्मा	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
8.	डॉ तेरेसा. ई.बि.	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
9.	डॉ पवन कुमार	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
10.	डॉ सुपर्णा पोपली	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
11.	डॉ अमित कुमार	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
12.	नपन दाली	ओएसडी	सदस्य
13.	एम. जॉर्ज	संयुक्त निदेशक	सदस्य
14.	प्रदीप कुमार सिंह	उप निदेशक	सदस्य
15.	भूपेन्द्र कुमार	उप निदेशक	सदस्य
16.	राकेश कुमार	उप निदेशक	सदस्य
17.	सुनील यादव	उप निदेशक	सदस्य
18.	रूद्रदीप दत्ता	उप निदेशक	सदस्य
19.	सोनल गुलाटी	उप निदेशक	सदस्य
20.	सुबोध कुमार सरावगी	उप निदेशक	सदस्य
21.	अक्षय गुप्ता	उप निदेशक	सदस्य
22.	गौरांग भटनागर	उप निदेशक	सदस्य
23.	मयूर	उप निदेशक	सदस्य
24.	जानकी सिंह	उप निदेशक	सदस्य
25.	लक्षिता	उप निदेशक	सदस्य
26.	आशीष शंकर	उप निदेशक	सदस्य
27.	गिरीश कुमार केन	उप निदेशक	सदस्य
28.	जय प्रकाश शर्मा	उप निदेशक	सदस्य
29.	गुरजिंदर सिंह	उप निदेशक	सदस्य
30.	भैरव सत्यावली	सहायक निदेशक	प्रतिनिधि
31.	राजेश प्रसाद गुप्ता	सहायक निदेशक	प्रतिनिधि

32.	पंकज कुमार	सहायक निदेशक	प्रतिनिधि
33.	अनुराग सक्सेना	सहायक निदेशक	प्रतिनिधि
34.	सन्नी कुमार	सहायक निदेशक	प्रतिनिधि
35.	ज्योतिराम	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	प्रतिनिधि
36.	अपर्णा घोष	सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
37.	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त के अलावा राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।